प्रेसनोट
दिनांक 17.07.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–321/25, धारा 331(4),305(ए) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मो0 शरीफ उर्फ बाडे पुत्र लालू नि0 ग्राम पूरे तिवारी थाना को0 देहात जनपद गोण्डा को ए0बी0सी0 भठ्ठा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सोने/चांदी के आभूषण व नगदी बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
वादी प्रदीप कुमार पुत्र राम आसरे नि0 पूरे तिवारी थाना को0 देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 16.07.2025 की रात्रि वह अपने घर पर सो रहा था कि लगभग 01:00 बजे अचानक नींद खुलने पर प्रार्थी ने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला है, जिससे संदेह हुआ। इसी दौरान कमरे के अंदर हलचल महसूस होने पर जैसे ही प्रार्थी कमरे की ओर गया, एक अज्ञात चोर कमरे से निकलकर उसे धक्का देकर भाग गया। अज्ञात चोर द्वारा उसके घर से सोने/चांदी के आभूषण व नगदी की चोरी की है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 17.07.2025 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त मो0 शरीफ उर्फ बाडे पुत्र लालू नि0 ग्राम पूरे तिवारी थाना को0 देहात जनपद गोण्डा को ए0बी0सी0 भठ्ठा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सोने/चांदी के आभूषण व नगदी बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. मो0 शरीफ उर्फ बाडे पुत्र लालू नि0 ग्राम पूरे तिवारी थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–321/25, धारा 331(4),305(ए),317(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 02 जोड़ी चांदी की पायल।
02. 01 जोड़ी सोने की झुमकी।
03. 1450/– नगद।
04. 01 अदद आधार कार्ड।
05. 01 अदद पासबुक।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 बृजेश कुमार गुप्ता।
02. का0 रंजीत सिंह।
03. का0 अनुराग पटेल।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 17.07.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अपहृत बालिका को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा गुमशुदा बच्चों की सकुशल बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–514/25, 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त ओमकार मिश्रा उर्फ नेपाली उर्फ पहाड़ी नि0 संगीतपुर मुरहा थाना हरैया जनपद बलरामपुर को चूड़ामणि चौराहा अयोध्या से गिरफ्तार कर अपहृत 10 वर्षीय बच्ची को सकुशल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 30.06.2025 को वादी मंजू पत्नी काली प्रसाद, निवासी मझरठिया थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा द्वारा तहरीर दी गई थी कि दिनांक 28.06.2025 को उनकी 10 वर्षीय पुत्री जो नवीन फल एवं सब्जी मंडी में कार्य हेतु गई थी, वापस नहीं लौटी। सूचना के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति बच्ची को ठेले पर बैठाकर लेकर चला गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा तकनीकी व मैनुअल साक्ष्यों के माध्यम से आरोपी की पहचान कर, आज दिनांक 17.07.2025 को उसे अयोध्या से गिरफ्तार कर अपहृत बालिका को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामद कर्ता टीम–

01. उ0नि0 मनीष कुमार।
02. का0 अफजल अहमद।

मीडिया सेल, गोण्डा।